

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना
डिवीजन
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत
अनुमति पत्र क्रं. भोपाल- म. प्र.
वि. पु. भु. भोपाल-02-06

पंजी. क्रमांक भोपाल
म. पं.-108 भोपाल -06-08.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 402]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 8 अगस्त 2006 - श्रावण 17, शक 1928

जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 8 अगस्त, 2006

क्रं. 29-4-99-म-इकतीस.- मंत्रि-परिषद् की दिनांक 1 अगस्त, 2006 को हुई बैठक में मध्यप्रदेश लघु जल विद्युत परियोजनाओं के विकास हेतु प्रोत्साहन नीति, 2006 पर सहमति व्यक्त की गई है. सर्वसाधारण की जानकारी के लिए उक्त नीति का प्रकाशन "राजपत्र (असाधारण) में किया जा रहा है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

बी. के. श्रीवास्तव, अपर सचिव.

मध्य प्रदेश में लघु जल विद्युत परियोजनाओं के विकास हेतु प्रोत्साहन नीति, 2006

1) प्रस्तावना

- 1.1. जल विद्युत ऊर्जा एक स्वच्छतम, व्यावहारिक एवं चिर-नवीन ऊर्जास्रोत है। अपारम्परिक ऊर्जा उत्पादन तथा संयंत्रों की स्थापना हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा निरन्तर प्रयास किये गये हैं तथा इस कार्य के लिए नीति निर्धारण, प्रोत्साहन, विशिष्ट एजेन्सियों का गठन आदि किया गया है। राज्य शासन द्वारा अभी तक बनाई गई नीतियों में अपारम्परिक ऊर्जा के स्रोतों जैसे पवन, बायो-मास, सौर, नागरिक कूड़ा करकट तथा जल सभी का समावेश है।
- 1.2. यद्यपि अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों से, जैसे पवन तथा बायो-मास से, विद्युत उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी हुई है तथापि जल विद्युत उत्पादन हेतु एक या दो इकाईयों की स्थापना के अतिरिक्त विशेष प्रगति नहीं हुई है।
- 1.3. सम्पूर्ण भारत में लघु जल विद्युत परियोजनाओं की अनुमानित क्षमता 15,000 मेगावाट है, जिसमें से मध्यप्रदेश में 410 मेगावाट क्षमता का अनुमान किया गया है। नीति निर्धारण तथा विभिन्न उपायों के बावजूद प्रदेश में केवल 41 मेगावाट क्षमता के जल विद्युत संयंत्रों की स्थापना की जा सकी है, जो राष्ट्रीय स्थापित क्षमता, 1693 मेगावाट का मात्र 2.42 प्रतिशत है। केन्द्र शासन के अनुसार वर्ष 2012 तक कुल राष्ट्रीय विद्युत उत्पादन का कम से कम 10 प्रतिशत अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों द्वारा किया जाना लक्षित है। अतएव कमी को पूरा करने हेतु लघु जल विद्युत ऊर्जा के क्षेत्र में मध्यप्रदेश में काफी कुछ किया जाना शेष है।
- 1.4. प्रदेश शासन के अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत हेतु 26-09-1994 में घोषित तथा समय समय पर जारी संशोधनों के अनुसार वर्तमान में लघु जल विद्युत उत्पादन का नियंत्रण राज्य शासन के अधीन है।
- 1.5. राज्य के भीतर उपलब्ध जल विद्युत उत्पादन की विपुल क्षमता तथा उसके अद्यतन अनुपयोग के दृष्टिगत यह अत्यावश्यक है एक विनिर्दिष्ट, व्यापक, एवं उदार नीति बनाई जाए जिससे जल विद्युत स्रोतों की क्षमता का त्वरित दोहन हो सके।
- 1.6. अतएव लघु जल विद्युत ऊर्जा के क्षेत्र की आवश्यकताओं के सभी आयामों को सम्मिलित करते हुए यह नई नीति बनाई गई है, जिसमें विद्युत उत्पादन एवं वितरण की वर्तमान वैधानिक स्थितियों एवं नियंत्रक ढांचे को ध्यान में रखा गया है।

2) संभावनाएं :

- 2.1. यह नई नीति 25 मेगावाट क्षमता तक की सभी लघु जल विद्युत ऊर्जा परियोजनाओं पर लागू होगी जिन्हें जल संसाधन विभाग/नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, मध्यप्रदेश ऊर्जा उत्पादन कम्पनी मर्यादित (MPPGCL) या किसी अन्य राज्य एजेन्सी द्वारा अथवा किसी भी निजी एजेन्सी द्वारा चिन्हित किया गया हो। यह नीति उन परियोजनाओं के लिए भी लागू होगी जिनका आवंटन मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल (अब मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल) द्वारा किया गया हो, किन्तु जो अभी व्यापारिक उत्पादन की स्थिति तक न पहुँच सकी हो।
- 2.2. यह परियोजनाएँ, कैप्टिव ऊर्जा परियोजनाएँ (Captive power projects) अथवा स्वतंत्र ऊर्जा परियोजनाएँ (Independent Power Projects) भी हो

सकती है। केप्टिव परियोजना की परिभाषा विद्युत अधिनियम, 2003की धारा 2(8), धारा (9) के साथ पठित के अनुरूप होगी, जिसका वर्णन भारत शासन के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा दिनांक 08 जून 2005 को अधिसूचित नियमावली, 2005 में किया गया है।

- 2.3. चिन्हित लघु जल विद्युत परियोजनाओं, जिनकी उत्पादन क्षमता 25 मेगावाट तक है, की सूची जल संसाधन तथा नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित की जाएगी। यह सूची अन्य परियोजना स्थलों के चिन्हित होने पर निरन्तर अभिवर्द्धित की जाएगी। जल संसाधन विभाग के कार्यक्षेत्र का विस्तार सभी सिंचाई परियोजनाओं के साथ ही प्रदेश की सीमा के भीतर सभी नदी प्रणालियों तक होगा। इसी प्रकार नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का क्षेत्राधिकार नर्मदा कछार की सभी प्रस्तावित या निर्माणाधीन सिंचाई/जल विद्युत परियोजनाओं तक होगा।
- 2.4. शासकीय विभागों/अभिकरणों द्वारा चिन्हित नहीं किए गए परियोजना स्थलों के अतिरिक्त निजी क्षेत्रों/व्यक्तियों द्वारा पहचान किये गये स्थलों को स्व-चिन्हित परियोजना के रूप में मान्य किया जावेगा, जिसके प्रावधान इस नीति के अन्तर्गत अलग से किये गये हैं।
- 2.5. यद्यपि यह नीति निजी क्षेत्र की ऊर्जा उत्पादन में सहभागिता के दृष्टिगत बनाई गई है तथापि केन्द्र तथा राज्य की शासकीय एवं अर्धशासकीय संस्थाएँ भी इसका लाभ उठाने हेतु अर्ह होगी।

3) नियामक ढांचा

- 3.1. विद्युत अधिनियम, 2003, जून 2003 से पारित एवं प्रभावशील है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कोई भी निजी व्यक्ति अथवा एजेन्सी विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाने हेतु स्वतंत्र है तथा उसे पारेषण सुविधा के मुक्त उपयोग (Open access) का अधिकार होगा।
- 3.2. मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग वर्ष 1999 से कार्यशील है तथा आयोग द्वारा समय-समय पर पारित आदेश/नियमन इस नीति के प्रावधानों पर लागू होंगे। इसी प्रकार भारत शासन द्वारा उर्जा-प्रक्षेत्र में समय-समय पर पारित किए गए अधिनियम भी इस नीति के प्रावधानों पर लागू होंगे। इस नीति के प्रावधान एवं मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी किए गए आदेश/विनियम के मध्य कोई विसंगति की दशा में मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आदेश के आदेश/विनियम लागू होंगे।

4) नीति के उद्देश्य

नीति के उद्देश्य निम्नानुसार हैं –

- 4.1. निजी क्षेत्रों की सहभागिता से प्रदूषण-मुक्त जल विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहन,
- 4.2. निजी क्षेत्र के प्रतिभागियों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन एवं लाभ को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना,
- 4.3. लघु जल विद्युत उत्पादन क्षेत्र को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु अनुकूल वातावरण का निर्माण,
- 4.4. नीति क्रियान्वयन हेतु युक्तिसंगत संरचना (Frame work) का निर्धारण।

5) नोडल एजेन्सी

- 5.1. इस नीति के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में जल संसाधन विभाग/नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण तथा मध्यप्रदेश ऊर्जा उत्पादन कंपनी लिमिटेड (MPPGCL) नोडल एजेन्सीयाँ होंगी तथापि लघु जल विद्युत परियोजना निर्माण हेतु निजी एजेन्सी के चयन के लिये मध्यप्रदेश ऊर्जा उत्पादन कंपनी लिमिटेड (MPPGCL) अपने स्वयं के नियमों एवं प्रक्रियाओं का निर्धारण करेगी।

खण्ड अ नीति के मार्गदर्शी सिद्धान्त

अ 1.0 प्रभावशीलता की अवधि

अ 1.1 यह नीति मध्यप्रदेश राज्य के राजपत्र में अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावकारी होगी तथा इसके परिशोधित/वापिस लिए जाने/संशोधन अथवा निरस्त किये जाने तक जारी रहेगी।

अ 1.2 इस नीति के अन्तर्गत आवंटित या आवंटित की जाने वाली सभी परियोजनाएँ निर्माण (build), स्वामित्व (own), चालन (operate) तथा स्थानान्तर (transfer) (BOOT) के आधार पर संचालित होगी। BOOT की अवधि जो वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (Commercial operation date) से प्रारम्भ होगी, जिनकी अवधि 30 वर्ष या परियोजना की आयु, जो भी पहले हो, होगी। BOOT की अवधि के अन्त में सम्पूर्ण परियोजनाएँ, जिसमें जल ढांचे एवं ऊर्जा उत्पादन की सभी परिसम्पत्तियाँ सम्मिलित होगी, बिना मूल्य के राज्य शासन को हस्तांतरित होगी। किन्तु निजी तौर पर अधिगृहित परियोजना भूमि के हस्तांतरण के समय भूमि का बाजार मूल्य, जिसका निर्णय उस जिले का जिलाधीश करेगा जिसमें परियोजना स्थल स्थित है, का भुगतान किया जाएगा।

अ 1.3 तथापि BOOT अवधि की समाप्ति पर राज्य शासन इच्छुक विकासकों से परियोजना के आगामी पांच वर्षों की अवधि के लिए, चयन के उन्हीं मापदण्डों के अनुरूप जिन पर परियोजना प्रथम बार आवंटित की गई थी, चालन एवं रखरखाव हेतु नवीन निविदाएँ आमंत्रित करने के संबंध में विचार कर सकता है बशर्ते यह प्रस्ताव परियोजना के उन मूल शर्तों एवं नियमों से कम नहीं होगा जिनपर मूल विकासक को परियोजना आवंटित की गई थी।

अ 2.0 चयन की प्रक्रिया

अ 2.1 परियोजना निकासी तथा क्रियान्वयन मंडल

(Project clearance & Implementation Board)

इस नीति के त्वरित क्रियान्वयन के लिए तथा चयन प्रक्रिया को शीघ्रगामी बनाने के लिए मध्यप्रदेश शासन द्वारा मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में एक परियोजना निकासी एवं क्रियान्वयन मण्डल (PCIB) का गठन किया गया है। इस मण्डल को लघु जल विद्युत परियोजनाओं के सन्दर्भ में जल संसाधन विभाग/नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अधीन निम्नानुसार पूर्णाधिकार होंगे।

- लघु जल विद्युत परियोजनाओं के निजी विकासकर्ता को लघु सूचीयन (Short listing) तथा उनके चयन करने, जिनमें बोली-अभिलेख (bid-document) भी शामिल होगा, हेतु मानदण्डों तथा प्रक्रिया का निर्धारण करना,
- निर्धारित मानदण्डों एवं प्रक्रिया के अनुसार लघु जल विद्युत परियोजनाओं के लिए विकासकर्ता का चयन करना,

- iii. मध्यप्रदेश शासन तथा विकासकर्ता के मध्य होने वाले जल विद्युत विकास अनुबन्ध (HPDA) की शर्तों एवं प्रावधानों को अन्तिम रूप देना,
- iv. नीति के प्रावधानों के अनुसार लघु जल विद्युत परियोजना के आवश्यक शासकीय भूमि के पट्टों की स्वीकृति देना, इस नीति के प्रावधानों के अनुरूप लघु जल विद्युत परियोजनाओं के विकासक को प्राप्त होने वाले वित्तीय अथवा अन्य प्रोत्साहन की स्वीकृति देना,
- v. जल संसाधन विभाग/नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित इस नीति के प्रावधानों से सम्बंधित व्याख्या/स्पष्टीकरण/वर्गीकरण/ संशोधन की स्वीकृति देना,
- vi. परियोजना निकासी तथा क्रियान्वयन मंडल (PCIB) द्वारा इस नीति के क्रियान्वयन की प्रगति का समय-समय पर पुनरीक्षण किया जावेगा।

अ 2.2 लघु जल विद्युत परियोजनाओं के विकासक के चयन की प्रक्रिया

अ 2.2.1 लघु जल विद्युत परियोजना का वर्गीकरण निम्नानुसार है :

- i. ऐसी परियोजनाएँ जिनका विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) राज्य शासन के सम्बन्धित विभाग द्वारा पहले से ही तैयार किया जा चुका है।
- ii. ऐसी परियोजनाएँ जिनके स्थलों की पहचान जल संसाधन विभाग/नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा की जा चुकी है, किन्तु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार नहीं किया गया है।
- iii. ऐसी परियोजनाएँ जिनका न तो स्थल ही चिन्हित है और न ही उनका विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार किया गया है।

अ 2.2.2 विकासकर्ता के चयन की प्रक्रिया निम्नांकित होगी :

- i. निजी प्रक्षेत्र के माध्यम से प्रस्तावित की जाने वाली परियोजनाओं को सूचीबद्ध किया जा रहा है। इन सूचियों का प्रकाशन जल संसाधन विभाग/नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। यह सूची सम्बन्धित विभाग की वेब साइट पर उपलब्ध होगी। नए परियोजना स्थल की जानकारी प्राप्त होने पर सूचियों को अभिवर्द्धित किया जावेगा। सूचीबद्ध परियोजनाओं के प्रस्ताव लोक आमंत्रण प्रक्रिया द्वारा आमंत्रित किए जाएंगे जो कैप्टिव ऊर्जा संयंत्र तथा स्वतंत्र ऊर्जा संयंत्र (Captive Power Plant & Independent Power Plant) दोनों के लिए होगा। इन दोनों प्रकार की परियोजनाओं के लिए निजी उद्योगपति को विशिष्ट प्रयोजन वाहन (Special Purpose Vehicle) के अन्तर्गत विकल्प उपलब्ध होगा, जैसा कि विद्युत अधिनियम की नियमावली, 2003 में परिभाषित है।
- ii. बोली लगाने का मापदण्ड पूर्व अर्हता (Prequalification) जो तकनीकी एवं आर्थिक क्षमता, काम का पूर्वानुभव तथा बोली लगाने वाले द्वारा जल संसाधन विभाग/नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को निःशुल्क ऊर्जा प्रदाय करने की मात्रा के प्रस्ताव पर आधारित होगा।
- iii. परियोजनाओं से प्रस्तावित निःशुल्क ऊर्जा प्रदाय की न्यूनतम मात्रा निम्नानुसार होगी।

स. क्र.	अनुमानित स्थापित क्षमता	मुफ्त ऊर्जा वास्तविक उत्पादन के प्रतिशत के रूप में (सहायक खपत को छोड़कर)
1.	5 मेगावाट तक	5 प्रतिशत, वाणिज्यिक चालन तिथि से प्रथम तीन वर्ष की छूट के साथ
2	5 मेगावाट से अधिक एवं 10 मेगावाट तक	8 प्रतिशत, वाणिज्यिक चालन तिथि से प्रथम दो वर्ष की छूट के साथ
3	10 मेगावाट से अधिक एवं 25 मेगावाट तक	10 प्रतिशत, वाणिज्यिक चालन तिथि से प्रथम एक वर्ष की छूट के साथ

- iv. बोली लगाने वाले को प्रत्येक प्रकरण के लिए नोडल विभाग द्वारा निर्दिष्ट धरोहर राशि जमा करना होगी जिसके अनुसार वह बोली लगा सकेगा ।
- v. बोली लगाने की प्रक्रिया समयबद्ध होगी तथा सफल बोली लगाने को उसके चयन की सूचना स्वीकृति पत्र (LOP) के माध्यम से दी जावेगी। स्वीकृति-पत्र जारी होने पर प्रस्तावक तकनीकी-आर्थिक साध्यता प्रतिवेदन (**Techno-Economic Feasibility Report-(TEFR)**) बनाने की तैयारी करेंगे। सम्बन्धित सभी अभिलेख एवं जानकारी जल संसाधन विभाग/नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण तथा मध्यप्रदेश परियोजना निकासी तथा क्रियान्वयन मंडल (MPPCIB) द्वारा सफल प्रस्तावक को तत्काल निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। तकनीकी-आर्थिक साध्यता प्रतिवेदन (TEFR) की स्वीकृति के उपरान्त आवंटन-पत्र (Letter of Allotment) जारी किया जावेगा तथा प्रस्तावक एवं शासन के मध्य जल विद्युत विकास अनुबंध (HPDA) निष्पादित किया जाएगा।

अ 2.3 विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन उपलब्ध होने की दशा में बोली लगाने की प्रक्रिया

- i. परियोजना (संयंत्र) स्थापित करने के प्रस्ताव आमंत्रित किए जाने पर विकासक निःशुल्क ऊर्जा प्रदाय के प्रस्ताव सहित पूर्व अर्हता के प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। बोली अभिलेख में पूर्व अर्हता के मापदण्ड एवं प्रत्येक मापदण्ड के पृथक-पृथक महत्व का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा। पूर्व अर्हता के निर्धारण के समय तकनीकी आर्थिक अर्हता के साथ ही पूर्व कार्यानुभव को समुचित महत्व दिया जाएगा। पूर्व अर्हता प्राप्त विकासक के प्रकरणों में ही निःशुल्क ऊर्जा प्रदाय के प्रस्ताव के लिफाफे खोले जावेगे तथा सर्वाधिक निःशुल्क ऊर्जा प्रदाय प्रस्ताव, जो निर्धारित न्यूनतम मात्रा से अधिकतम हो, करने वाले का चयन किया जावेगा।
- ii. शासन द्वारा तैयार किए गए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) का मूल्य चयनित प्रस्तावक द्वारा शासन को देय होगा, जिसका निर्धारण जल संसाधन विभाग/नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा किया जावेगा।

अ 2.4 विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) उपलब्ध नहीं होने की दशा में बोली लगाने की प्रक्रिया

- i. परियोजना संयंत्र के प्रस्ताव आमंत्रित किए जाने की प्रक्रिया के पहले, पूर्व अर्हता के प्रस्ताव आमंत्रित किए जावेगे। बोली अभिलेख में पूर्व अर्हता के मापदण्ड एवं प्रत्येक मापदण्ड के पृथक-पृथक महत्व का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा। तकनीकी एवं व्यक्तिगत क्षमता के अतिरिक्त बोली लगाने वालों को उनके द्वारा विकसित एवं संचालित किए जा रहे इसी प्रकार के कार्यानुभव को पूर्व अर्हता निर्धारण में यथा-महत्व दिया जावेगा।
- ii. पूर्व अर्हता प्राप्त कर चुके बोली लगाने वालों का तकनीकी आर्थिक क्षमता तथा इसी प्रकार के उनके पूर्व कार्यानुभव के महत्व/औचित्य के अनुरूप चयन किया जावेगा।
- iii. निर्धारित शुल्क के भुगतान के उपरांत चयनित बोली लगाने वाले को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार करने हेतु आशय पत्र (letter of intent) तत्काल जारी किया जावेगा। इस आशय पत्र में परियोजना की साध्यता प्रतिपादित करने हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार करने के लिए निर्धारित समय-सीमा का स्पष्ट उल्लेख होगा। सामान्यतः विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार करने हेतु 12 माह की अवधि होगी, जिसे आगे छ माह तक बढ़ाया जा सकेगा। विशेष परिस्थितियों में, मंडल (PCIB) द्वारा समयावधि में वृद्धि देने हेतु विचार किया जा सकेगा, जो पूर्णतः मंडल के विवेकाधीन होगा।
- iv. अंतिम स्वरूप दिए जाने के उपरान्त बोली लगाने वाला निःशुल्क ऊर्जा प्रदाय के प्रस्ताव सहित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन जल संसाधन विभाग/नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा, जो इस नीति में निर्धारित मापदण्डों से कम नहीं होगा।
- v. विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तथा निःशुल्क ऊर्जा प्रदाय प्रस्ताव के प्राप्त होने पर जल संसाधन विभाग/नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा अन्य पूर्व अर्हता प्राप्त प्रस्तावक से, निर्दिष्ट समय-सीमा में, निःशुल्क ऊर्जा प्रदाय के प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे। ऐसे प्रकरणों में, प्रारंभ में चयनित प्रस्तावक को लोक आमंत्रण प्रक्रिया में प्राप्त सर्वोच्च बोली के बराबर बोली लगाने के विकल्प के साथ प्रथम अस्वीकार का अधिकार (first right of refusal) होगा।
- vi. प्रारंभ में चयनित प्रस्तावक द्वारा सर्वोच्च बोली के बराबर बोली लगाने में अनिच्छा जताने के उपरांत सर्वोच्च बोली लगाने वाले को परियोजना के विकास हेतु चयन किया जाएगा तथा वह प्रारंभिक प्रस्तावक को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने की लागत, जो पूर्व में चयनित बोली लगाने वाले द्वारा व्यय की गई होगी, की प्रतिपूर्ति करने के लिए बाध्य होगा। यह लागत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अथवा पूर्व अर्हता के आमंत्रण हेतु जारी अभिलेख में उल्लेखित होगी।
- vii. किसी भी परिस्थिति में (परियोजना साध्य हो अथवा नहीं), प्रस्तावक को सर्वेक्षण, अनुसंधान एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने या उसकी जांच हेतु किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के दावे का अधिकार नहीं होगा।

अ 2.5 स्व-चिन्हित परियोजना स्थलों के मामलों में चयन प्रक्रिया

- i. जल संसाधन विभाग/नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा चिन्हित परियोजना सूची में उल्लेखित स्थलों के अतिरिक्त किसी भी स्थल में लघु

जल विद्युत परियोजना प्रस्तावों के लिए प्रस्तावक (Developers) स्वतंत्र होंगे। ऐसे स्थलों को स्व-चिन्हित परियोजना स्थल माना जाएगा।

- ii. स्व-चिन्हित परियोजना स्थल के प्रस्ताव प्राप्त होने पर तथा विनिर्दिष्ट शुल्क प्राप्त होने पर जल संसाधन विभाग/नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रस्तावक आवश्यक अर्हता के मापदण्ड को पूरा करता है तथा संतोष कर लेने के पश्चात मण्डल (PCIB) की स्वीकृति प्राप्त की जाएगी। एक ही स्थल के लिए एकाधिक प्रस्तावों के प्राप्त होने की दशा में 'पहले आओ पहले पाओ' के सिद्धान्त का अनुसरण किया जाएगा। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के अधिकार प्रदाय करने वाला आशय पत्र तत्काल जारी किया जाएगा। इस आशय पत्र में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने तथा परियोजना की साध्यता को निश्चित करने के लिए समय-सीमा भी निर्दिष्ट होगी। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिए सामान्यतः 12 माह की अवधि दी जाएगी, जिसे मण्डल (PCIB) की स्वीकृति उपरांत आगामी छः माह तक बढ़ाया जा सकेगा। विशिष्ट परिस्थितियों में मण्डल (PCIB) द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने की अवधि बढ़ाने हेतु विचार किया जा सकेगा, जो मण्डल के सम्पूर्ण रूपेण मण्डल के विवेकाधीन होगा।
- iii. ऐसा प्रस्तावक, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते समय, निःशुल्क ऊर्जा प्रदाय के प्रस्ताव भी देगा, जो इस नीति में उल्लेखित न्यूनतम मापदण्डों से कम नहीं होंगे।
- iv. विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तथा निःशुल्क ऊर्जा प्रदाय प्रस्ताव के प्राप्त होने पर जल संसाधन विभाग/नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा अन्य पूर्व अर्हता प्राप्त प्रस्तावक से, निर्दिष्ट समय-सीमा में, निःशुल्क ऊर्जा प्रदाय के प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे। ऐसे प्रकरणों में, प्रारंभ में चयनित प्रस्तावक को लोक आमंत्रण प्रक्रिया में प्राप्त सर्वोच्च बोली के बराबर बोली लगाने के विकल्प के साथ प्रथम अस्वीकार का अधिकार (first right of refusal) होगा।
- v. प्रारंभ में चयनित प्रस्तावक द्वारा सर्वोच्च बोली के बराबर बोली लगाने में अनिच्छा जताने के उपरांत सर्वोच्च बोली लगाने वाले को परियोजना के विकास हेतु चयन किया जाएगा, जो प्रारंभिक प्रस्तावक को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने की लागत का भुगतान करना बाध्य होगा। यह लागत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अथवा पूर्व अर्हता के आमंत्रण हेतु जारी अभिलेख में उल्लेखित होगी।

अ 3.0 परियोजनाओं का विकास

- i. परियोजना के लिए प्रस्तावक के चयन के उपरांत तकनीकी-आर्थिक साध्यता प्रतिवेदन (TEFR) तैयार करने हेतु प्रस्तावक को अनुमति पत्र (Letter of Permission) जारी किया जाएगा।
- ii. विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के आधार पर प्रस्तावक द्वारा आवश्यक अनुसंधान कर तथा जल संसाधन विभाग/नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण या किसी अन्य शासकीय एजेंसी के पास उपलब्ध आंकड़ों के अध्ययन अथवा स्वयं ही अध्ययन कर तकनीकी-आर्थिक साध्यता प्रतिवेदन तैयार करने का कार्य तत्काल हाथ में लिया जाएगा।
- iii. चयनित प्रस्तावक को यह समझना तथा स्वीकार करना होगा कि जलाशयों का प्रारंभिक उद्देश्य सिंचाई/घरेलू या औद्योगिक प्रयोजनों हेतु जल आपूर्ति करना है

तथा जल प्रवाह की समय-सारिणी इन आवश्यकताओं के अनुरूप होगी। जल संसाधन विभाग/नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का यह प्रयास होगा कि जल प्रवाह इस प्रकार हो कि अधिकाधिक ऊर्जा उत्पादन होने के साथ ही मूल उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की अनदेखी न हो।

- iv. यदि चयनित प्रस्तावक परियोजना के तकनीकी-आर्थिक साध्यता से संतुष्ट है तो वह साध्यता प्रतिवेदन (TFER) को, अनुमति पत्र के जारी होने के तीन माह के भीतर जल संसाधन विभाग/नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा तथा साथ ही नीचे दिए गए अनुसार प्रक्रिया शुल्क जमा करेगा।

स. क्रमांक	अनुमानित स्थापित क्षमता	प्रक्रिया शुल्क (लाख रुपये में)*
1.	5 मेगावाट तक	1.00
2.	5 मेगावाट से अधिक एवं 10 मेगावाट तक	2.00
3.	10 मेगावाट से अधिक एवं 25 मेगावाट तक	5.00

*शुल्क में कमी या बढ़ोतरी मंडल (PCIB) द्वारा समय-समय पर की जा सकेगी।

- v. किसी भी परिस्थिति में (भले ही परियोजना साध्य हो अथवा नहीं), प्रस्तावक को सर्वेक्षण, अनुसंधान एवं तकनीकी-आर्थिक साध्यता प्रतिवेदन (TEFR) तैयार करने या उसकी जांच हेतु किए गए व्यय की शासन से प्रतिपूर्ति के दावे का अधिकार नहीं होगा।

अ 3.1.0 जल संसाधन विभाग/नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा तकनीकी आर्थिक साध्यता प्रतिवेदन (TEFR) की स्वीकृति

अ 3.1.0 चयनित प्रस्तावक (आगे विकासक (Developer) कहा जाएगा) द्वारा साध्यता प्रतिवेदन (TEFR) प्रस्तुत किए जाने के उपरांत जल संसाधन विभाग/नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा, निम्न बिन्दुओं की सुनिश्चितता करने के बाद, स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

- यह घरेलू/सिंचाई/औद्योगिक/नौ परिवहन/बाढ़ नियंत्रण या लोक हितार्थ किसी भी आवश्यकता के साथ एकरूप है।
- यह ऊर्जा उत्पादन की पूरी क्षमता का दोहन प्रस्तावित करता है। सामान्यतः चरणकंठित विकास की स्वीकृति नहीं होगी तथा यह आशा की जाती है कि प्रस्तावक द्वारा पूरा विकास एक ही चरण में पूर्ण किया जाएगा तथापि मण्डल (PCIB) तकनीकी बाध्यताओं के पेशे नजर चरण कंठित विकास की अनुमति दे सकेगा तथा मण्डल (PCIB) का निर्णय अंतिम होगा।
- यह बांध के रूपांकन एवं सुरक्षा मानदण्डों को पूरा करेगा।

अ 3.2.0 धारा अ 3.1.1 की शर्तों की संतुष्टि के उपरांत विकासक से साध्यता प्रतिवेदन (TEFR) प्राप्त होने के आठ दिनों के भीतर या पूछे गए स्पष्टीकरण के प्राप्त होने पर जल संसाधन विभाग/नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण आवंटन पत्र (LOA) जारी करेगा। आवंटन पत्र प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर विकासक जल संसाधन विभाग/नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के पास सुरक्षा निधि

(Performance security) जमा कराकर जल विद्युत विकास हेतु अनुबंध (HPDA) निष्पादित करेगा। सुरक्षा निधि परियोजना की अनुमानित लागत की 2.0 प्रतिशत होगी तथा डिमाण्ड ड्राफ्ट या राष्ट्रीयकृत/विनिर्दिष्ट बैंक द्वारा जारी ग्यारंटी, जो जल संसाधन विभाग/नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को स्वीकार योग्य हो, के रूप में जमा किया जा सकेगा।

अ 3.3.0 स्वीकृति तथा निकासी

- 1) अनुबंध (HPDA) निष्पादित होने के बाद प्रस्तावक द्वारा आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त की जाएंगी तथा बारह महीनों के भीतर वित्तीय समापन (Financial Closure) की व्यवस्था की जाएगी। इस अवधि को मण्डल (PCIB) द्वारा प्रत्येक प्रकरणवार बढ़ाया जा सकेगा बशर्ते मण्डल इस बात से संतुष्ट है कि देरी के कारण यह प्रस्तावक के नियंत्रण से बाहर है। जल संसाधन विभाग/नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए विकासक की हर संभव सहायता प्रदान करेगा, किन्तु स्वीकृति प्राप्त करने की प्रारम्भिक जिम्मेदारी विकासक की होगी। निर्धारित अवधि में स्वीकृति अप्राप्त रहने या वित्तीय समापन नहीं करने की दशा में अनुबंध (HPDA) स्वयमेव निरस्त हो जाएगा तथा सुरक्षा निधि (Performance security) राजसात कर ली जाएगी। राज्य अथवा केन्द्र शासन द्वारा स्वीकृति प्रदाय नहीं की जाने की दशा में सुरक्षा निधि राजसात नहीं की जाएगी।
- 2) अनुबंध (HPDA) निष्पादित होने की तिथि से परियोजना को कार्यशील करने की समय-सीमा निम्नानुसार होगी –

स. क्रं.	स्थापित क्षमता	परियोजना को कार्यशील होने की अवधि
1.	5 मेगावाट तक	30 माह
2.	5 मेगावाट से अधिक एवं 10 मेगावाट तक	36 माह
3.	10 मेगावाट से अधिक एवं 25 मेगावाट तक	40 माह

नोट – आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु यदि मण्डल (PCIB) द्वारा 12 माह की अवधि को बढ़ाया गया हो तो तदनुसार परियोजना के कार्यशील होने की अवधि में बढ़ोतरी की जा सकेगी।

- 3) वाणिज्यिक परिचालन तिथि तक परियोजना विकास के संकेतक चरणों (milestone) का अनुबंध (HPDA) का हिस्सा होगा, जिसका जल संसाधन विभाग/नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा विकासकर्ता की विनिर्दिष्ट प्रार्थना पर निर्माण के दौरान उपस्थित विशिष्ट परिस्थितियों के प्रकाश में समीक्षा की जाएगी। निर्धारित समयावधि में परियोजना के सफलतापूर्वक कार्यशील होने पर सुरक्षा निधि, मण्डल की स्वीकृति के उपरांत, वापिस/मुक्त की जा सकेगी।
- 4) दैवी कारणों (Force majeure) के अलावा, विकासक की ओर से परियोजना के कार्यशील होने में देरी होने की दशा में, अनुबंध में वर्णित विभिन्न संकेतक चरणों के परिप्रेक्ष्य में विकासक को मध्यप्रदेश शासन को उतने समय के लिए निःशुल्क ऊर्जा के मुआवजे का भुगतान करना होगा, जितनी कि अनुबंध में वर्णित समय-सीमा में ऊर्जा उत्पादन में देरी हुई है। इस क्षति की पूर्ति वाणिज्यिक

उत्पादन प्रारंभ होने पर समान मात्रा में निःशुल्क ऊर्जा प्रदाय कर की जाना होगी, जो निर्धारित निःशुल्क प्रदाय की मात्रा से अलग एवं अधिक होगी।

- 5) यदि विकासक परियोजना को निर्धारित समय-सीमा से पहले कार्यशील कर देता है तो उसे प्रोत्साहन स्वरूप निःशुल्क ऊर्जा प्रदाय की जाने वाली मात्रा का 50 प्रतिशत ही राज्य शासन को देना होगा, अर्थात् परियोजना की वास्तविक वाणिज्यिक परिचालन तिथि (CoD) से, अनुबंध के अनुसार निर्धारित वाणिज्यिक परिचालन तिथि तक निःशुल्क ऊर्जा प्रदाय की मात्रा 50 प्रतिशत ही होगी।
- 6) परियोजना के लिए आवश्यक शासकीय भूमि उपलब्ध होने पर विकासक को यह भूमि, अनुबंध (HPDA) पर हस्ताक्षर होने से 30 दिन के भीतर, पट्टे पर निम्नानुसार उपलब्ध कराई जाएगी :
 - i. यदि भूमि जल संसाधन विभाग/नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के स्वामित्व की है तो यह भूमि पट्टे पर विकासक को संबंधित जिला कलेक्टर को सूचित करते हुए आवंटित की जाएगी। जल संसाधन विभाग/नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण इस संबंध में परिपत्र जारी करेगा।
 - ii. यदि भूमि राजस्व विभाग के स्वामित्व की है तो जिला कलेक्टर, राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के अनुरूप जल संसाधन विभाग/नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को भूमि हस्तांतरित करेगा तथा जल संसाधन विभाग/नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा संबंधित जिला कलेक्टर को सूचित करते हुए विकासक को भूमि का पट्टा दिया जाएगा।
 - iii. अन्य विभाग के स्वामित्व की भूमि के लिए जल संसाधन विभाग/नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण उस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा, भूमि का आधिपत्य प्राप्त करेगा तत्पश्चात् जल संसाधन विभाग चयनित इकाई को भूमि पट्टे पर देगा एवं इसकी सूचना संबंधित जिला कलेक्टर को देगा। इस हेतु परिपत्र जल संसाधन विभाग द्वारा जारी किया जाएगा।
 - iv. पट्टे पर दी गई कुल भूमि पर टोकन प्रब्याजी एवं भू-भाटक दोनों मिलाकर रूपया 1.00 प्रतिवर्ष लिया जाएगा।
 - v. अनुबंध (HPDA) में विनिर्दिष्ट समयावधि के लिए पट्टा दिया जाएगा।
 - vi. पट्टे की मानक शर्तों की स्वीकृति मण्डल (PCIB) द्वारा दी जाएगी।
 - vii. यदि विकासक द्वारा चाही गई भूमि निजी है तो शासन विकासक के आवेदन पर उसके नाम पर भूमि का अधिग्रहण करेगा, किन्तु अधिग्रहण का व्यय पूर्णतः विकासक को वहन करना होगा।
 - viii. वन भूमि, जिसमें राजस्व की छोटे-बड़े झाड़ के जंगल की भूमि सम्मिलित है अथवा कोई ऐसी राजस्व अथवा निजी भूमि जो कि वन के रूप में वर्गीकृत हो अथवा परिभाषित हो, उसमें वन संरक्षण अधिनियम, 1980 तथा उसके अधीन बनाए गए नियम व केन्द्र/राज्य शासन द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे।
- 7) लागू नियम/कानूनों के परिपालन सुनिश्चित करने का एकमात्र उत्तरदायित्व विकासक का होगा।
- 8) BOOT अनुबंध की अवधि में विकासक सभी परिसम्पत्तियों का यथोचित रूप से बीमा कराएगा तथा इनका संधारण एवं रखरखाव इस प्रकार करेगा जिससे कि BOOT अवधि के उपरान्त शासन/या शासन की एजेंसी को हस्तांतरित करते समय परिसम्पत्तियां उचित अवस्था में हो।

- 9) अनुबंध पर हस्ताक्षर करने तथा लागू स्वीकृतियां प्राप्त करने की शर्त पर विकासक संयंत्र स्थापित करने हेतु स्वतंत्र होगा। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 73 के अंतर्गत वर्णित तकनीकी मानदण्डों का परिपालन को विकासक सुनिश्चित करेगा।
- 10) जल संसाधन विभाग/नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के आधिपत्य वाले विद्युत गृह तक पहुंच मार्ग का उपयोग विकासक कर सकेगा। जल संसाधन विभाग/नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण तथा विकासक दोनों मिलकर पहुंच मार्गों का रखरखाव करेंगे।
- 11) परियोजना स्थल के समीप उपयुक्त प्रकार की अतिरिक्त आवास सुविधा उपलब्ध होने की दशा में जल संसाधन विभाग/नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, विकासक तथा उसके अमले को परियोजना निर्माण की अवधि में भाड़ा पर देगा, तथापि आवंटित आवासों का रखरखाव एवं मरम्मत विकासक को ही करना होगी।

अ 4.0 ग्रिड संयोजन एवं निष्क्रमण प्रबंध

अ 4.1.0 उत्पादन स्थल से निकटतम सब स्टेशन या अंतर-संयोजन स्थल या समीपस्थ पारेषण लाइन को जोड़ने का कार्य, जिसमें ट्रांसफार्मर पैनल, संरक्षण, मीटरिंग इत्यादि सम्मिलित हैं, का उत्तरदायित्व विकासक को वहन करना होगा जो कि मध्यप्रदेश ग्रिड संहिता, मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004, मध्यप्रदेश ऊर्जा नियामक आयोग एवं केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के समय समय पर संशोधित तकनीकी एवं सुरक्षा मापदण्डों के अनुरूप होगा। यह कार्य मध्यप्रदेश ऊर्जा पारेषण कम्पनी लिमिटेड (MPPTCL) एवं/अथवा अन्य संबंधित वितरण कम्पनी द्वारा मूल्य आधारित दरों पर किया जाएगा, जिसका भुगतान विकासक द्वारा वहन किया जाएगा।

अ 4.2.0 इस विषय में नियामक आयोग द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

अ 5.0 पारेषण एवं वितरण (Transmission and Distribution)

अ 5.1.0 उत्पादन स्थल से उपभोग स्थल (consumption point) तक स्वयं की समर्पित पारेषण लाईन निर्माण के लिए विकासक स्वतंत्र होगा। विकासक को विद्युत अधिनियम, 2003 में निहित प्रावधानों के अनुसार राज्य की विद्यमान पारेषण सुविधाओं का उपयोग करने का भी मुक्त अधिकार होगा। इस नीति में उल्लेखित शर्तों के अंतर्गत विकासक मध्यप्रदेश ऊर्जा पारेषण कंपनी लिमिटेड (MPPTCL)/अन्य वितरण कंपनी के साथ व्हीलिंग अनुबंध करेंगे, तथापि व्हीलिंग शुल्क एवं पारेषण/वितरण क्षति के संबंध में नियामक आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

अ 5.2.0 यदि विकासक तृतीय उपभोक्ता पक्ष/अनुज्ञापिधारी वितरण/ऊर्जा वितरण कंपनी को ऊर्जा विक्रय करता है तो वह मध्यप्रदेश ऊर्जा पारेषण कंपनी लिमिटेड (MPPTCL)/अन्य वितरण कंपनी को व्हीलिंग एवं पारेषण शुल्क देने के लिए बाध्य होगा, जिसके संबंध में मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

अ 5.3.0 मध्यप्रदेश ऊर्जा पारेषण कंपनी लिमिटेड (MPPTCL)/संबंधित वितरण कंपनी द्वारा निर्दिष्ट मीटरिंग उपकरण उत्पादन स्थल/उपभोक्ता स्थल पर मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2004 एवं मीटरिंग हेतु मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित मापदण्डों के प्रावधानों के अनुरूप विकासक के व्यय पर स्थापित किए जाएंगे। मध्यप्रदेश ऊर्जा पारेषण कंपनी लिमिटेड/अन्य वितरण कंपनी के अधिकारियों द्वारा इनका निरीक्षण किया जाएगा।

अ 6.0 बैंकिंग

इस नीति के अंतर्गत बैंकिंग की अनुमति प्रदान की जाएगी तथापि इस संबंध में मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

अ 7.0 ऊर्जा का विक्रय

मध्यप्रदेश राज्य में स्थित किसी भी उपभोक्ता/इच्छुक वितरण कंपनी (willing distribution company) अथवा ऊर्जा विपणन कंपनी (Power Trading Company) को स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादक (IPP) से संपूर्ण ऊर्जा एवं केप्टिव ऊर्जा उत्पादक (CPP) से अतिशेष ऊर्जा का विक्रय किया जा सकेगा तथापि राज्य की वितरण कंपनी, जिसके अधिकार क्षेत्र में ऊर्जा संयंत्र स्थापित है, अथवा राज्य ऊर्जा विपणन कंपनी को ऊर्जा के क्रय विक्रय को नकारने का प्रथम अधिकार होगा।

अ 8.0 परियोजना निरीक्षण

अ 8.1.0 जल संसाधन विभाग/नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को परियोजना की सुरक्षा की दृष्टि से परियोजना के निरीक्षण का अधिकार होगा। निरीक्षण के समय इन अधिकारियों को विकासक द्वारा आवश्यक सहायता एवं सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

अ 8.2.0 विकासक द्वारा उद्योग से संबंधित (क्षमता, उत्पादन, उत्पादन में गतिरोध इत्यादि) अभिलेख का संधारण किया जाएगा तथा निरीक्षण के समय निरीक्षण अधिकारियों को समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए जाएंगे।

अ 9.0 मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग का अनन्य अधिकार क्षेत्र

अ 9.1.0 विद्युत अधिनियम, 2003 में प्रबंधन हेतु व्यवस्था के अंतर्गत निहित प्रावधानों, विद्युत विक्रय दर, ऊर्जा क्रय अनुबंध, व्हीलिंग, बैंकिंग, वितरण, पारेषण क्षति शुल्क इत्यादि के संबंध में मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (MPERC) का विशेषाधिकार रहेगा। इसी प्रकार विद्युत अधिनियम, 2003 में निहित प्रावधानों के अनुसार अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की उन्नति, ऊर्जा पारेषण सुविधा, मध्यप्रदेश ऊर्जा पारेषण कंपनी लिमिटेड (MPPTCL)/पारेषण का अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारी वितरक के मध्य ऊर्जा क्रय करने की सहभागिता इत्यादि मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (MPERC) के अधिकार क्षेत्र में रहेगा। इस विषय में मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश, मार्गदर्शन, व्यवस्था नियम सभी पर पालन हेतु बाध्य होंगे।

अ 9.2.0 विकासक एवं जल संसाधन विभाग/नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण अथवा मध्यप्रदेश ऊर्जा पारेषण कंपनी लिमिटेड/पारेषण का अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारी वितरक के मध्य नीति की व्याख्या संबंधी अथवा अनुबंध की शर्तों/कंडिकाओं पर विवाद की स्थिति में प्रकरण विद्युत अधिनियम, 2003 एवं सेक्शन की धारा 86 (i) के अंतर्गत मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग की ओर निर्णय हेतु प्रेषित किया जाएगा।

खण्ड ब – सामान्य प्रावधान

ब 1.0 मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल द्वारा 1994 की नीति के अंतर्गत जिन विकासकों को केप्टिव ऊर्जा संयंत्र (CPP)/स्वतंत्र ऊर्जा संयंत्र (IPP) का आवंटन किया गया था, उन विकासकों को पुरानी नीति में निरन्तर रहने अथवा नई नीति अपनाने का विकल्प होगा। इस विकल्प हेतु विकासक को यह नीति लागू होने से एक माह की अवधि के भीतर जल संसाधन विभाग/नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को प्रार्थना पत्र देने की कार्यवाही करनी होगी, जो इन विकासकों को परिशोधित कार्य-योजना (Revised Implementation Schedule) पर आधारित MoU निष्पादित करने के उपरांत ही नई नीति में परिवर्तन की अनुमति प्रदान करेंगे। विकासक द्वारा परिशोधित कार्य-योजना का अनुसरण न करने की स्थिति में उक्त अनुमति निरस्त की जाएगी। जल संसाधन विभाग/नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली अनुमति मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप होगी।

ब 2.0 जल संसाधन विभाग/नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की स्वीकृति से कालान्तर में स्वतंत्र ऊर्जा परियोजना (IPP) को केप्टिव ऊर्जा परियोजना (CPP) में या इसके विपरीत परिवर्तित करने का खुला विकल्प होगा, तथापि जल संसाधन विभाग/नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा दी गई अनुमति मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग दिशा-निर्देशों के अनुरूप होगी।

ब 2.1.0 मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार जल संसाधन विभाग/नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा तृतीय पक्ष से अनुज्ञप्तिधारी अथवा एक तृतीय उपभोक्ता पक्ष से दूसरे तृतीय उपभोक्ता पक्ष को ऊर्जा विक्रय की अनुमति प्रदान की जाएगी।

ब 3.0 इस क्षेत्र की गतिशीलता को देखते हुए नीति में निहित प्रावधानों की समीक्षा समय-समय पर की जाएगी। सामान्य परिस्थितियों में यह समीक्षा तीन वर्षों के अंतराल से होगी। कार्य को सुचारू रूप से चलाने हेतु अथवा अनपेक्षित मुद्दों से निपटने के लिए नीति में केन्द्र शासन अथवा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के दिशा-निर्देशों के परिपालन में संशोधन/प्रावधानों का विलोपन करने/अतिरिक्त प्रावधानों का समावेश करने इत्यादि, यदि आवश्यक हो, सुधार करने के अधिकार मध्यप्रदेश शासन को होंगे। मध्यप्रदेश शासन द्वारा नीति लागू करने एवं उसमें प्रासंगिक अथवा अनुषंगी मुद्दों पर उचित एवं आवश्यक दिशा-निर्देश समय-समय पर जारी किए जाएंगे तथापि ऐसे संशोधन उत्तरव्यापी प्रभाव से प्रभावशील/लागू होंगे।

ब 4.0 समर्पण एवं/अथवा आवंटन का हस्तांतरण

ब 4.1.0 परियोजना का कार्य प्रारंभ करने से पूर्व विकासक किसी भी समय परियोजना छोड़ने हेतु स्वतंत्र होगा, परन्तु इस स्थिति में निष्पादन प्रतिभूति राशि जल संसाधन विभाग/नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा राजसात कर ली जाएगी।

ब 4.2.0 जल संसाधन विभाग/नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की लिखित सहमति एवं हस्तांतरण हेतु निर्दिष्ट आवश्यक शुल्क के भुगतान के पश्चात विकासक परियोजना का कार्य अन्य विकासक को हस्तांतरित कर सकेगा। जल संसाधन विभाग/नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा हस्तांतरी विकासक को पूर्व-अर्हता मापदण्डों के योग्य पाए जाने के उपरांत ही हस्तांतरण की अनुमति दी जाएगी।

खण्ड स – प्रोत्साहन

स 1.0 जल विद्युत विकास अनुबंध (HPDA) में उल्लेखित मानकों की पूर्ति करने वाली नई योजनाएं ही इस नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन की पात्र होंगी। इसी प्रकार पुरानी नीति से नई नीति (संदर्भ कंडिका ब 1.0) में आने वाली उन योजनाओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा, जो MoU में उल्लेखित परिशोधित कार्य-योजना प्रारूप के अनुरूप होंगी।

स 2.0 मध्यप्रदेश राज्य में लघु जल विद्युत परियोजना के विकास के लिए निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी –

- 1) इस नीति के अंतर्गत स्थापित लघु जल विद्युत परियोजना द्वारा उत्पादित ऊर्जा का कंस्ट्रिक्ट उपयोग, वितरण कंपनी, राज्य में स्थित तृतीय पक्ष उपभोक्ता(ओं) अथवा राज्य की ऊर्जा विपणन कंपनी को विक्रय किया जा सकेगा तथापि तृतीय पक्ष उपभोक्ता अथवा ऊर्जा विपणन कंपनी को ऊर्जा विक्रय की स्थिति में राज्य विपणन कंपनी/वितरण कंपनी को प्रस्ताव नकारने का प्रथम अधिकार होगा।
- 2) मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित की जाने वाली दरों पर राज्य ऊर्जा विपणन कंपनी/संबंधित राज्य वितरण कंपनी विकासकों से ऊर्जा क्रय करने पर विचार कर सकती हैं। जल संसाधन विभाग द्वारा नीति निर्धारण के तुरंत पश्चात मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग से दिशा-निर्देशों हेतु याचिका दायर की जाएगी।
- 3) नीति जारी होने के तुरंत पश्चात, जल संसाधन विभाग द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के समक्ष परियोजना से किसी प्रकार का open access शुल्क नहीं लिये जाने के संबंध में निर्दिष्ट दिशा-निर्देशों के अनुसार याचिका दायर की जाएगी।
- 4) तृतीय पक्ष को ऊर्जा विक्रय करने की स्थिति में मध्यप्रदेश ऊर्जा पारेषण कंपनी लिमिटेड अथवा संबंधित राज्य वितरण कंपनी द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों पर व्हीलिंग आफ पावर की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वर्तमान नीति के अनुरूप केवल मध्यप्रदेश राज्य में तृतीय पक्ष को विक्रय के मामले में राज्य शासन द्वारा व्हीलिंग शुल्क 4.0 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त सहायता आगे भी जारी रहेगी।
- 5) लघु जल विद्युत परियोजना से की गई विद्युत आपूर्ति पर कोई ऊर्जा उपकर देय नहीं होगा।
- 6) इस नीति के अंतर्गत स्थापित होने वाली लघु जल विद्युत परियोजनाओं को मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित औद्योगिक प्रोन्नति नीति, 2004 एवं मध्यप्रदेश औद्योगिक निवेश प्रोन्नति सहायता योजना, 2004 के अंतर्गत उद्योग का दर्जा प्राप्त होगा तथा इस नीति/योजना के अंतर्गत उपलब्ध प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी।
- 7) लघु जल विद्युत परियोजना से ऊर्जा क्रय का विकल्प देने वाले औद्योगिक उपभोक्ता को स्थायी आधार पर संविदा मांग (in contract demand) में समानुपातिक (pro-rata) कटौती की अनुमति होगी परन्तु इस संबंध में मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
- 8) जैसा कि पूर्व में उल्लेखित है यदि शासन के पास परियोजना हेतु भूमि उपलब्ध है तो वह जल संसाधन विभाग/नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा रूपया 1.00 प्रतिवर्ष के भू-भाटक पर विकासक को सीधे ही पट्टे पर दी जाएगी।
- 9) अगर इकाई द्वारा परियोजना/परियोजना के भाग हेतु निजी भूमि क्रय की जाती है या अगर इकाई के अनुरोध पर उनके स्वयं के व्यय पर शासन द्वारा निजी भूमि अधिग्रहित कर इकाई को दी जाती है, तो उसे औद्योगिक प्रयोजन हेतु भूमि का निःशुल्क व्यपवर्तन सक्षम राजस्व अधिकारी से करवाने की पात्रता रहेगी।

- 10) लघु जल विद्युत परियोजना द्वारा जल उपयोग के लिए जल दर देय नहीं होगी।
- 11) यदि विकासक ग्रामीण क्षेत्रों में जो कि राज्य शासन के परिपत्र क्रमांक 2010-एफ-13-05-13-2006, दिनांक 25 मार्च, 2006 द्वारा अधिसूचित है, ऊर्जा उत्पादन एवं वितरण की योजना तैयार करता है तो उसे ऊर्जा उत्पादन एवं वितरण हेतु अनुज्ञा पत्र लेना आवश्यक नहीं होगा, परन्तु वह केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निर्धारित विद्युत अधिनियम की धारा 53 में उल्लेखित मापदण्डों के पालन हेतु बाध्य होगा।

12) बैंकिंग

प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निम्नलिखित शर्तों पर शत-प्रतिशत ऊर्जा संचय की अनुमति प्रदान की जाएगी –

- i. वित्तीय वर्ष में संचित ऊर्जा के आंकड़ों का सत्यापन संबंधित राज्य वितरण कंपनी/राज्य ऊर्जा विपणन कंपनी के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। विकासक द्वारा संचित ऊर्जा का 2.0 प्रतिशत के रूप में संचय शुल्क संबंधित राज्य वितरण कंपनी/राज्य ऊर्जा विपणन कंपनी को चुकाना होगा।
- ii. संबंधित राज्य वितरण कंपनी/राज्य ऊर्जा विपणन कंपनी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार संचित ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा।
- iii. संबंधित राज्य वितरण कंपनी/राज्य ऊर्जा विपणन कंपनी द्वारा संपूर्ण मांग की परिस्थितियों को मद्दे नजर रखते हुए, लिए गए निर्णयानुसार रबी मौसम (नवम्बर से फरवरी) एवं उच्चतम मांग वाले समय को छोड़कर शेष समय में संचित ऊर्जा का उपयोग किया जा सकेगा।
- iv. मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार राज्य वितरण कंपनी/राज्य ऊर्जा विपणन कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष के अंत में शेष ऊर्जा, यदि हो तो, क्रय की जाएगी।

स 3.0 अन्य सुविधाएं –

- i. लघु जल विद्युत परियोजनाओं को केप्टिव उपयोग अथवा तृतीय पक्ष विक्रय के मामले में ऊर्जा खपत पर विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त होगी। तकनीकी आर्थिक साध्यता प्रतिवेदन में घोषित 80 प्रतिशत से अधिक ऊर्जा उत्पादन करने पर ही यह सुविधा प्राप्त हो सकेगी तथापि 80 प्रतिशत से कम ऊर्जा उत्पादन करने पर विकासक को उन परिस्थितियों/विशिष्ट कारणों को दर्शाने वाले दस्तावेज जल संसाधन विभाग/नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को प्रस्तुत करना होंगे। विकासक द्वारा दिए गए कारणों से संतुष्ट होने के उपरांत ही जल संसाधन विभाग/नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा विद्युत शुल्क के भुगतान में छूट प्रदान की जाएगी।
- ii. कार्बन क्रेडिट या इस प्रकार के अन्य प्रोत्साहन, जो इस प्रकार की लघु जल विद्युत परियोजना को उपलब्ध हैं, अनन्य रूप से विकासक के खाते में रहेंगे।
- iii. लघु जल विद्युत परियोजना में उपयोग में आने वाले उपकरण/संयंत्र/मशीनों को राज्य में लाने पर प्रवेश कर में छूट प्रदान की जाएगी। यह छूट जल विद्युत विकास अनुबंध करने की तिथि से आगामी पांच वर्षों तक प्रभावशील रहेगी। वर्ष 1994 की नीति के अंतर्गत स्वीकृति प्राप्त ऐसी लघु जल विद्युत परियोजना जो नई नीति में स्थानांतरित है तथा जिनके द्वारा इस सुविधा का लाभ नहीं उठाया गया है, उन्हें जल संसाधन विभाग/नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा पुरानी नीति से नई नीति में स्थानांतरण की अनुमति प्रदान करने की तिथि से यह सुविधा आगामी पांच वर्षों तक प्रभावशील रहेगी।

- iv. लघु जल विद्युत परियोजनाओं में निवेश करने पर मध्यप्रदेश औद्योगिक निवेश प्रोन्नति सहायता योजना, 2004 के अंतर्गत वाणिज्य एवं उससे संबंधित कर पर उपलब्ध सहायता की सुविधा की पात्रता, लघु जल विद्युत परियोजना इकाई अथवा ऐसी औद्योगिक इकाई जो लघु जल विद्युत परियोजना से ऊर्जा का उपभोग करती है, को होगी। लघु जल विद्युत परियोजना इकाई द्वारा परियोजना के प्रारंभ में ही यह विकल्प देना होगा कि करों में राहत संबंधी लाभ किसे प्राप्त हो।
- v. MNES/ IREDA'S द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले प्रोत्साहन हेतु जल संसाधन विभाग/नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण सहायता उपलब्ध करायेगे।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(बी. के. श्रीवास्तव)
अपर सचिव